Serial No. 9597 Circle:-:Bhagalpur Book No. :- 1 Deed No. 9473

Serial No. 9597 Deed No 9473

बिहार सरकार

जिला निबंधन कार्यालय भागलपुर

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **26/07/2019** को **Ram Jee Singh** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमे रू0 **806080** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **21500** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 **9473** के रूप में पुस्तक सं0 **1** की जिल्द सं0 **156** के पृष्ठ सं0 **477** से **486** तक **CD 24** में आज निबंधित एवं कुल **10** पृष्ठों में संधारित किया गया ।

दिनांक– **26/07/2019** टोकन नं. **9693** / 2019

गौतम कुमार
निबंधन पदाधिकारी

Ram card
26/7
चन्द्रशेखर सिंह
उच्चवर्गीय लिपिक
जला निबंधन कार्यालय,
भागलपुर

26-7-19
अवध किशोर शर्मा
उच्चवर्गीय लिपिक
जिला निबंधन कार्यालय
भागलपुर

उन्नयन मनोबंध
(Development Agreement)

For Amarpur Cons. Co. (P) Ltd.
Chairman
26.7.19

1.लेख्यकारी (प्रथम पक्ष)का नाम व पताः– 1. डा0 राम जी सिंह उम्र 88 वर्ष , मो0 9110920790 पिता स्व0 खेरी सिंह साकिन नया टोला भीखनपुर, थाना ईशाकचक, जिला– भागलपुर राष्ट्रीयता –भारतीय।

2.लेख्यधारी (द्वितीय पक्ष) का नाम एवं पताः– अमरपुर कन्सट्रक्सन कम्पनी प्रा0 लि0 अमरपुर जिला बांका द्वारा चेयरमेंन श्री सहदेव कानोडिया उम्र 62 वर्ष मो0. 9934914040 पिता स्व0 मूलचन्द कानोडिया साकिन थाना –अमरपुर, जिला– बांका, राष्ट्रीयता –भारतीय।

3.लेख्य प्रकारः–डेभलपमेंट एग्रीमेंट दस्तावेज।

जिला अवर निबंधक भागलपुर

Scanned By
Computer Operator

SCROLL VERIFIED

26.7.19

District Registry Office,Bhagalpur

Token Number 9693 Reg. Year 2019 Serial Number 9597 Deed Number 947

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Amarpur Construction Company Private Limited Through Chairman Sahdev Kanodia						
Sig.							
Presented By	Ram Jee Singh						
Sig.							
Executant	Ram Jee Singh						
Sig.							
Identified By	~~Sarvodaya~~ Sharma						
Sig.							

आदेशानुसार प्राक्पक क्रेता एवं विक्रेता द्वारा दिखाये गये भूखण्ड, मुहल्ला / मौजा भरेवनपुर वार्ड नं0/ थाना नं0 36 होल्डिंग नं0 47 अन्तर्गत बीरेन्द्र नाथ मुखर्जी रोड का दस्तावेज में वर्णित चौहद्दी के अनुरूप स्थल जाँच किया गया / जाँचोपरान्त उक्त भूखण्ड पर खाता-121 (खसरा 281 वर्गफीट मकान / दीवार आर.सी.सी. / आर.बी.सी. / खपड़ा पोश निर्मित है, जो व्यवसायिक / आवासीय / विकासशील प्रथम / द्वितीय श्रेणी की है। मुख्य सड़क से अन्दर भूमि एवं संरचना आगे 133 धनफीट फीट पर RCC मकान है एवं 1133 धनफीट दीवार है।

चन्द्रशेखर जी 26/7/19

आदेशानुसार प्राक्पक क्रेता एवं विक्रेता द्वारा दिखाये गये .....अपार्टमेन्ट के.....फ्लोर पर स्थित फ्लैट नं0.....वार्ड नं0.....को नं0.....भूखण्ड, मुहल्ला / मौजा.....थाना नं0.....होल्डिंग नं0.....अन्तर्गत.....रोड का दस्तावेज में वर्णित चौहद्दी के अनुरूप स्थल जाँच किया गया / जाँचोपरान्त उक्त फ्लैट नं0.....कुल.....वर्ग फीट सुपर बिलटअप एरिया को सीमांकित संरचना आवासीय / व्यवसायिक प्रथम / द्वितीय श्रेणी की है।

स्थल जाँचकर्ता

जिला अवर निबंधक भागलपुर

24/7/19

4.लेख्य मूल्यः–.कुल मूल्य मो0 4,02,54,000/–**चार करोड़ दो लाख चौवन हजार रुपया जिसमें जमीन का मूल्य** मो0 3,59,25,000/– **तीन करोड़ उनसठ लाख पचीस हजार रुपया** व उस पर निर्माण ग्राउण्ड तल 53 फीट लंबा व 49 फीट चौड़ा यानि 2597 वर्गफीट आर0 सी0 सी0 मकान का मूल्य मो0 31,17,000/–रुपया व ग्राउण्ड तल के उपर 26फीट लंबा व 17 फीट चौड़ा यानि 442 वर्गफीट का एक कोठरी मूल्य मो0 5,31,000/– पॉच लाख एकतीस हजार रुपया **यानि कुल मकान 3039 वर्गफीट का कुल मूल्य मो0 36,48,000/–रुपया** व ग्राउण्ड तल के छत पर का रेलिंग 3 फीट खड़ा 5 ईच चौड़ा व 175 फीट लंबा यानि 219 घनफीट का मूल्य मो0 1,32,000/–एक लाख बत्तीस हजार रुपया व चहारदीवाल कुल 274 फीट लंबा व 5 ईच चौड़ा व 8 फीट खड़ा यानि 914 घनफीट का मूल्य मो0 5,49,000/–पॉच लाख उनचास हजार रुपया है **यानि छत का रेलिंग व जमीन पर दीवाल कुल 1133 घनफीट का कुल मूल्य मो0 6,81,000/–रुपया** है।

5.सम्पत्ति विवरणः–

मवाजी अराजी **14.3681 (चौदह दशमलव तीन छः आठ एक) डीसमल जो कि 6247 (छः हजार दो सौ सैंतालीस) वर्गफीट** जमीन व **किस्म –आवासीय द्वितीय श्रेणी** मोहल्ला–भीखनपुर, थाना –ईशाकचक, अंचल– जगदीशपुर, नगरपालिका सर्वे वार्ड न0 10, **वर्त्तमान नगर निगम वार्ड न0 36,** होल्डिंग न0 47 अन्तर्गत **ज्ञानेन्द्र नाथ मुखर्जी रोड** व जिला –भागलपुर में अवस्थित है। अंदर जमींदारी बिहार सरकार के है। उक्त जमीन पर मालगुजारी लगान एवं शेष अंचल जमाबंदी न0 2108 पर निर्धारित वो भुगतेय है।

खाता खेसरा रकवा व चौहद्दी निम्नांकितः–

खाता	खेसरा	रकवा	उत्तर	दक्षिण	पुरव	पश्चिम
121 एक सौ ईक्कीस	281 दो सौ एकासी	6247 (छः हजार दो सौ सैंतालीस) वर्गफीट	ज्ञानेन्द्र मुखर्जी रोड	स्व0 विजय कुमार पाण्डेय एवं अन्य	सरदार प्रीतम सिंह वो पाठक एवं अन्य	15 फीट चौड़ा रोड

संदर्भ

यह कि उपरोक्त खाना नं0 5 वाली जमीन लेख्यकारी प्रथम पक्ष खाना नं0 1 की अपनी निजी एवं निर्विवाद दखली जायदाद है। उक्त खाना न0 5 वाली जमीन पर लेख्यकारी खाना न0 1 के नाम अंचल सिरिस्ता व नगर निगम सिरिस्ता में टैक्स व मालगुजारी रसीद कटता चला आ रहा है। इस प्रकार उपरोक्त संदर्भ व अधिकार के आलोक में लेख्यकारी प्रथम पक्ष को खाना नं0–5 वाली जमीन की बहुमंजिला भवन के निर्माण हेतु डेभलपमेंट एग्रीमेंट करने का अधिकार निर्विवाद स्वतंत्र वो कानून के अनुरूप है।

यह है कि फिलवक्त लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने अपनी खाना नं0 5 वाली जमीन पर एक बहुमंजिला आवासीय भवन बनाने का निर्णय किए लेकिन

For Amarpur Cons. Co. (P) Ltd.
Chairman
26.7.19

पर्याप्त पूंजी के अभाव में लेख्यकारी प्रथम पक्ष भूस्वामी खाना नं0 1 द्वितीय पक्ष (लेख्यधारी) से इस बिषय पर विचार विर्मश किया एवं द्वितीय पक्ष जो कि खुद डेभलपर हैं को लेख्यकारी प्रथम पक्ष की जमीन पर निम्नांकित एकरारनामा वो शर्तो के आधार पर बहुमंजिला भवन बनाने की अपनी सहमति वो स्वीकृति दे दी।

1.यह कि प्रथम पक्ष जमीन मालिक भू–स्वामी और द्वितीय पक्ष बिल्डर/विकासकर्त्ता जाने जायेंगे।

2.यह कि खाना नं0 5 वाली जमीन पर बनने वाली आवासीय बहुमंजिला भवन का नाम **राम आशा आश्रम** दोनों पक्षों के सामूहिक निर्णय से तय हुआ है।

3.यह कि बहुमंजिला भवन में जमीन लेख्यकारी प्रथम पक्ष की होगी और आवासीय बहुमंजिला भवन को बनाने से लेकर निर्माण पर खर्च वो निर्माण से संबंधित सभी सरकारी व गैर सरकारी खर्च की जिम्मेवारी लेख्यधारी द्वितीय पक्ष की होगी और(कॉमन एरिया, पैसेज वो कॉमन सुविधा,लिफ्ट, सीढ़ी को छोड़कर) हिस्सा अंश लेख्यकारी प्रथम पक्ष जमीन मालिक का **45 प्रतिशत** का, जिस पर जमीन मालिक का स्वतंत्र बिक्री / रखने का अधिकार होगा एवं विल्डर द्वितीय पक्ष का 55 प्रतिशत होगा। जिस पर विल्डर का स्वतंत्र विक्री/ रखने का अधिकार होगा ।

4.यह कि बहुमंजिला भवन का निर्माण भागलपुर नगर निगम के बायलॉज के अनुसार होगा।

5 उभय पक्षों के बीच यह तय हुआ है कि निर्माण कार्य नक्सा पारित की तिथि से **36 माह** के भीतर द्वितीय पक्ष भवन पूर्णरूप से तैयार कर लेंगे वो निर्माण का Grace Period छः माह का होगा। बशर्ते जमीन में किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद न हो और न कोई प्राकृतिक आपदा आ जाय। अगर विल्डर निर्धारित वो तय समय सीमा के अन्दर भवन निर्माण का कार्य पूरा नही करेंगे या फिर जमीन मालिक का अंश हिस्सा का पूर्णतया निर्माण कर जमीन मालिक को सुपुर्द नही करेंगे तो ऐसी स्थिति में विल्डर प्रत्येक माह नब्बे हजार रुपया जमीन मालिक को जुर्माना तब तक देंगे जब तक कि भवन का निर्माण कार्य पूरा नही हो जाता है। निर्माण में सामग्री बेहतर (I.S.I Mark) लगाये जायेगें साथ ही सारा खर्च लेख्यधारी द्वितीय पक्ष करेगें एवं लेख्यधारी द्वितीय पक्ष अपने हिस्से का सुपर बिल्टअप निर्माण रकवा की बिक्री, जरब्याना, बंधक, लीज, दान वगैरह का अपने पक्ष एवं हित में निबंधन अपने मर्जी से वो अपने हष्ताक्षर से निबंधन कार्यालय, भागलपुर वो अन्य सरकारी वो गैर सरकारी संस्थाओं व प्रतिष्ठानों में स्वयं करेंगे वो स्वयं अपने हष्ताक्षर से उक्त जायदाद से संबंधित खरीददार व लोगों के नाम चिरकुट व जरुरी कागजात निर्गत करेंगे। इसमें लेख्यकारी प्रथम पक्ष को कोई ऐतराज नही होगा। उसी प्रकार प्रथम पक्ष जमीन मालिक अपने हिस्से का सुपर विल्टअप निर्माण रकवा अर्थात

For Amarpur Cons. Co. (P) Ltd.
Chairman
26.7.19

45 प्रतिशत हिस्सा की बिक्री, जरब्याना, बंधक, लीज दान वगैरह का अपने पक्ष एवं हित में निबंधन अपने मर्जी से वो हस्ताक्षर से निबंधन कार्यालय में निबंधित कर सकेंगे, वो स्वयं अपने हस्ताक्षर से उक्त जायदाद से संबंधित खरीददार व लोगों के नाम चिरकुट व जरुरी कागजात निर्गत करेंगे। इसमें द्वितीय पक्ष को कोई एतराज न है वो न ही भविष्य में होगा।

6.यह कि भवन का कॉमन एरिया कॉमन सुबिधा, सीढ़ी लिफ्ट जेनरेटर, नाला, कॉमन सेप्टिक टैंक, बिजली, पानी बोरिंग वो पानी टंकी इत्यादि की व्यवस्था वो बनाने लेख्यधारी द्वितीय पक्ष अपने खर्च से करेगें और कोई भी पक्षकार वो उनके खरीददार उसका अतिक्रमण एवं दुरुपयोग नहीं करेगें एवं और न ही फ्लैट के बाहरी भाग(दीवाल) में संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन करेगें।

For Amarpur Cons. Co. (P) Ltd.
Chairman
26.7.19

7.यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष निर्माण संबंधी कार्य में अपना आवश्यक हस्ताक्षर लेख्यधारी द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजात पर समझकर जल्द से जल्द कर देगें वो साथ ही आवश्यक भवन निर्माण प्रक्रिया व सामग्री का निरीक्षण समय–समय पर करेगें साथ ही उचित और आवश्यक सुझाव भी लेख्यधारी द्वितीय पक्ष को देगें जो निरीक्षक इंजीनियर के तकनीक से भिन्न और अव्यवहारिक वो गलत नहीं हो।

8.लेख्यधारी द्वितीय पक्ष निर्माणाधीन भवन के अपने हिस्से की सुपर बिल्टअप रकवा की विक्री हेतु जरव्याना कर जरब्याना राशि प्राप्त कर सकते हैं व उसकी बिक्री कर कीमत स्वयं प्राप्त करेंगे। जो सिर्फ अधिकार द्वितीय पक्ष की होगा प्रथम पक्ष को उसके किसी भी लाभ हानि से कोई मतलव नहीं रहेगा।

9.लेख्यधारी द्वितीय पक्ष खाना नं0 5 वाली जायदाद पर अपने अंश हिस्से की सुपर बिल्टअप निर्माण पर जब तक भवन का निर्माण पूर्ण नहीं होगा सरकारी वो गैर सरकारी कर्ज अपने जबावदेही पर लेंगें जिससे कि खाना नं0 5 वाली सम्पत्ति जमीन को कोई नुकसान न पहुँचे और वह भार लेख्यकारी प्रथम पक्ष सहन व वहन नहीं करेगें। द्वितीय पक्ष द्वारा लिए गए कर्ज की जबाबदेही प्रथम पक्ष की नही होगी, इससे दोनों पक्ष सहमत हैं।

26.7.19

10.लेख्यकारी प्रथम पक्ष वो लेख्यधारी द्वितीय पक्ष अपने अपने निर्मित अंश की बिक्री वो किसी भी प्रकार का हस्तांतरण मॉर्गेज, लीज इस एकरारनामे के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने अपने हस्ताक्षर से करेगें इसमें कोई पक्ष किसी का विरोध नहीं करेगें और न ही विरोध मान्य होगा।

11.यह कि अगर लेख्यकारी वो लेख्यधारी के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद होता हैं तो उसका निपटारा आर्वीट्रेशन एक्ट 1996 के तहत होगा जो दोनो पक्षो को मान्य होगा।

जिला अवर निबंधक भागलपुर

12.यह कि अर्पाटमेंट पूर्ण होने पर उसका मेंटेनेन्स कार्य, अपार्टमेंट के खरीददार व उसमें रहने वाले अपना सोसायटी बनाकर अपने खर्च पर करेंगे। यह लेख्यकारी वो लेख्यधारी के बीच तय हुआ है।

13.यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष खाना नं0 1 इस डेभलपमेंट एग्रीमेंट दस्तावेज में यह घोषणा करते हैं कि खाना नं0 5 वाली जमीन विल्कुल निर्विवाद है, और मेरे पूर्ण स्वत्व वो दखल कब्जे वाली जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कर्ज भार नहीं है। उसे रेहन, सट्टा,पट्टा वो बंधक पर किसी सरकारी वो गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओ और प्रबंधनो में नहीं रखा गया है। और न हीं उक्त जमीन की विक्री की गई है और नहीं किसी अन्य के हाथ व नाम विक्री हेतू जरव्याना किया गया है और न ही किसी अन्य को उक्त जमीन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए पावर दिया गया है एवं आज एग्रीमेंट के दिन उक्त जमीन संबंधित सभी मूल दस्तावेज द्वितीय पक्ष को सुपुर्द कर दिया जायेगा।

15.उभय पक्षों के बीच यह तय हुआ है कि खाना न0 5 वाली जमीन पर निबंधित एग्रीमेंट की तारीख के पूर्व की मालगुजारी लगान व शेष का भुगतान जमीन मालिक करेंगे व निबंधित एग्रीमेंट की तारीख के बाद मालगुजारी लगान व शेष का भुगतान डेभलपर खाना न0 2 करेंगे । अर्पाटमेंट निर्माण के लिए विल्डर द्वितीय पक्ष अपने खर्च पर विजली व पानी का कनेक्सन अपने नाम पर लेंगे व उस पर आने वाले खर्च व विल भुगतान की जिममेबारी द्वितीय पक्ष विल्डर की होगी।

16. उभय पक्षों के बीच यह तय हुआ है कि उक्त जमीन पर निर्माण के दरम्यान किसी प्रकार का कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जबाबदेही द्वितीय पक्ष बिल्डर की होगी न कि जमीन मालिक प्रथम पक्ष की। प्रथम पक्ष को इस तथ्य से कोई सरोकार नही होगा।

17. यह कि इस एकरारनामा की सभी शर्ते बिहार अपार्टमेंट एक्ट 2006 में निहित शर्तों से प्रभावित होंगी, इससे दोनों पक्ष सहमत होंगे। उभय पक्षों के बीच यह तय हुआ है कि उक्त जमीन पर बने बहुमंजिली भवन के रख रखाव में किसी प्रकार की कोई अब्यवस्था होगी तो ऐसी स्थिति में विल्डर द्वितीय पक्ष एक साल तक उसका रख रखाव करेंगे। बाद में यह सोसायटी को सौंप दिया जायेगा।

विवरण – 02

1.फाउण्डेशन, आर0 सी0 सी0 कॉलम एवं एन्टी टर्माइट ट्रीटमेंट फाउण्डेशन एवं प्लींथ में।

2.दीवाल जो ईटा और सीमेन्ट मोर्टार का होगा। सभी अन्दर के दीवाल, सिलिंग पुट्टी से फिनिस रहेगा जिस पर प्राईमर किया रहेगा।

3.सभी दरवाजा फ्लस डोर का रहेगा। खिड़की अलमुनियम स्लाइडिंग/UPVC रहेगा।

3.सभी दरवाजा फ्लस डोर का रहेगा। खिड़की अलमुनियम स्लाइडिंग/UPVC रहेगा।

4.बाथरूम की दीवाल में फुल हाइट तक तक चारों तरफ ग्लेज टाईल्स होगा।

5.सभी कमरो, बालकोनी, रास्ता की जमीनों को भिट्रीफाईड टाईल्स युक्त रहेंगे एवं बालकोनी, रास्ता के जमीनों एंटी स्कीड टाइल्स युक्त रहेंगे।

6.सभी बाथरूमों का कमोड/एन0 एसी पैन्स0 वाशबेसिंग सेरा/ Johnson/ Johnson काजिरिया क्वालिटि का होगा, बाथरूम में गरम एवं ठंढा पानी का व्यवस्था रहेगा एवं पाईप अच्छे (आई0एस0आई0) क्वालिटी का होगा। साथ में नल Johnson & Johnson कम्पनी का होगा एवं एक्झौस्ट फैन्स के लिए जगह दिए जायेंगे।

7.किचन में ग्रेनाइट का टॉप जो कुकिंग स्लेब पर होगा एवं स्टील सिंक जो कुकिंग स्लेब में लगाये जायेंगे एवं कुकिंग टॉप के उपर दो फीट तक ग्लेज टाईल्स विकासकर्त्ता द्वारा लगाये जाएंगें। विकासकर्त्ता किचन में एक्झौस्ट फैन लगवाने के लिए जगह छोड़ देंगे।

8.सभी कमरों बालकॉनी, रास्ता आवासीय फ्लैटों में कॉन्सिल्ड इलेक्ट्रीकल कॉपर वायरिंग रहेगा जो आई0एस0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त रहेगा एवं सभी स्वीच एंकर/फिनोलेक्स/कोना/हेबल्स का रहेगा। सभी फ्लैट के ड्राईंग रूम में टी0 वी0, इन्टर कॉम इन्वर्टर या जेनरेटर का प्वाइंट रहेगा।

9.आवासीय फ्लैट में लिफ्ट (कोना, Kone, Johnson, Otis या इसके समकक्ष), जेनरेटर (महिन्द्रा, किरलोस्कर, ग्रीब्स या मिलता जुलता), की सुविधा रहेगा।

उपरोक्त एग्रीमेंट दस्तावेज उभय पक्षो ने अपने अपने समक्ष लिखवाकर, पढ़कर वो पढ़वाकर वो समझ बूझकर बिना किसी दबाव, भय वो धमकी के बहकावे वो फुसलावे के गवाहन के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर से इस डेभलपमेंट एकरारनामा दस्तावेज को निबंधन कार्यालय, भागलपुर में दाखिल तामिल वो निबंधित कर दिया ताकि वक्त विशेष पर काम आवे।

For Amarpur Cons. Co. (P) Ltd.

Chairman

For Amarpur Cons. Co. (P) Ltd.

Chairman

26.7.19

Drafted by
Niranjan Agarwal
Adv
26/7/19

लेख्यकारी प्रथम पक्ष

लेख्यधारी द्वितीय पक्ष

गवाह

देवेन्द्र शर्मा
पिता - डा. रामजी सिंह
नयाटोला, भीखनपुर, गुमटी नं0-1
थाना-कुसाकचक, भागलपुर-
26/7/19

गवाह

Hemendra Bhushan Sinha
S/o Bidhya Bhushan Sinha
T.N.B. Law College Road
Telkamghichi, Bhagalpur
26/7/19

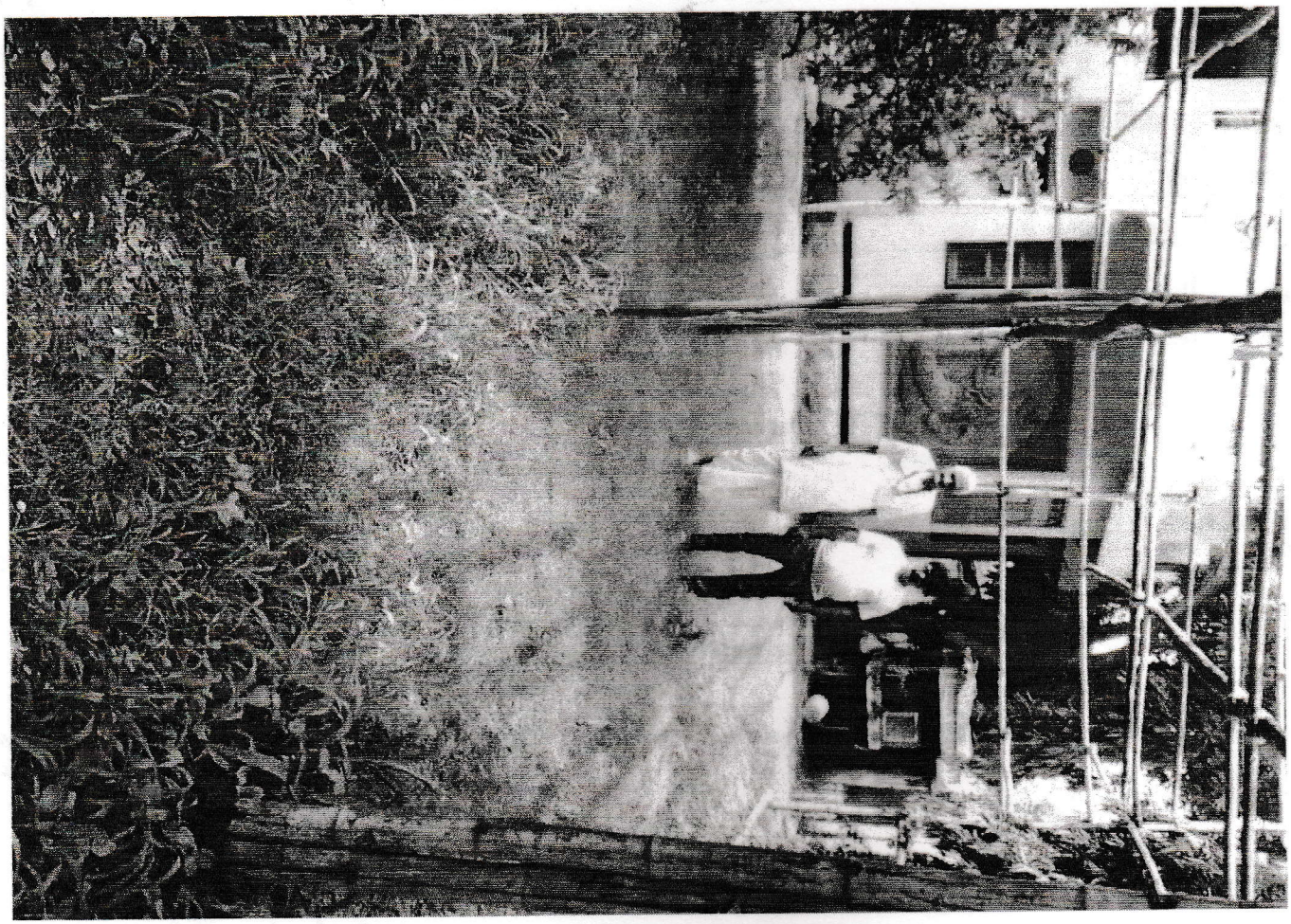

T.No-9693 D- 26.7.19.

आदेशानुसार ~~मारूपक क्रेता एवं विक्रेता~~ द्वारा दिखाये ..
भूखण्ड, मुहल्ला / मौजा ..हरिखनपुर..... वार्ड नं0/
थाना नं0 36 हो0नं0 47 अन्तर्गत शानेन्द्रधाम मुखर्जीरोड-
रोड का दस्तावेज में वर्णित चौहद्दी के अनुरूप स्थल जाँच
किया गया / जाँचोपरान्त उक्त भूखण्ड पर थाना-12। खसरा-28।
वर्गफीट मकान / दीवार आर.सी.सी. / आर.बी.सी. / खपड़ा पोश
निर्मित है, जो ~~व्यवसायिक / आवासीय / विकासशील प्रथम /~~
~~द्वितीय~~ श्रेणी की है। मुख्य सड़क के अन्तरात भूमि
एवं संरचना आवासीय है जिसमें 3039 वर्ग
फीट पर RCC मकान है एवं 1133 चनफीट
दीवाल है

हस्ताक्षर

चन्दशेखर सिंह
26/7/19

जिला अवर निबंधक
भागलपुर

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 806080/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 827580/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	21000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	21000

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 500

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 21500

Registering Officer
Bhagalpur

Date: 26/07/2019

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Bhagalpur on Friday, 26th July 2019 by Ram Jee Singh Kheri Singh by profession Others. Status - Executant

26/7/19

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:26/07/2019

Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Sarvodaya Sharma' age '68' Sex 'M', 'Ramjee Singh ', resident of 'Aashiana Road,shambhu Nagar,patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Bhagalpur

Date : 26/07/2019

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Bhagalpur in Book 1 Volume No. 156 on pages on 477 -486, for the year 2019 and stored in CD volume No. CD-24 year 2019 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Bhagalpur

Date : 26/07/2019

Token No. : 9693 Year : 2019 S.No. : 9597 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 9473

Sch. XIV—F. No. 180V. बि० ग० प्रेस, गया।

मालगुजारी। फरद मालकी/फरद रैयती। स०म०

सर्कल। नाम मौजा मय V नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी 2108

बन्दी वो थाना नम्बर। वो सकूनत। नम्बर।

जगदीशपुर वाऽ-10	ऽ10 रामजी सिंह पिता

795227

अब्जी नगदी अराजी भावली तफसील हिसाब लगान भावली।

0-8-15-10	स्व० रवेर सिंह सा०- नीरवनपुर नया टोला जागलपुर

जीत की सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत 2019-20	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
माल (नगदी) गुजारी (भावली)	30=00				720=00	30=00
सेस ...						
*सूद ...						
तफरकात ...	15=00				360=00	15=00
मीजान	45=00				1080=00	45=00

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत 2019-20	बकाया				मोतावला हाल।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
माल (नकदी) गुजारी (भावली)				720=00	30=00	
सेस ...						
*सूद ...						
मुतफरकात ...				360=00	15=00	
मीजान अदायकारी				1080=00	45=00	1125=00

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) एक हजार एक सौ पच्चीस मात्र)

(२) नाम बेहिन्दा

(३) कुल बकाया

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा।

16.07.19

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

भागलपुर नगर निगम
BHAGALPUR MUNICIPAL CORPORATION

रसीद संख्या : 154427 ☑ रोकड़ ☐ बैंक दिनांक 24.01.2020

श्री/श्रीमती ...

वार्ड सं. 36 होल्डिंग सं. 47 गली/लेन ...

रुपया ... (रु० 4430.00

चेक/ड्राफ्ट नम्बर ... तिथि ... बैंक ...

द्वारा निर्गत सम्पत्ति संख्या असेसमेन्ट संख्या ... हेतु प्राप्त किया।

क्रम संख्या	एकाउन्ट कोड	विवरण	अवधि (A/H/Q/M)	राशि
1		सम्पत्ति कर	I 2019-2020.	4064.00
2		जल शुल्क		
3		व्यापार अनुज्ञप्ति फीस		
4		विकास शुल्क		
5		जीवन मृत्यु शुल्क		
6		दंड		366.00
7		कुल		4430.00

पूर्ण लेख : चेक/ड्राफ्ट से चेक की वैधता राशि मिलने के बाद ही मानी जायेगी।

कृते भागलपुर नगर निगम

(१) मूल
(२) द्वितीय प्रति
(३) तृतीय प्रति
*खास जारी

1197
13/9/19

LAND POSSESSION CERTIFICATE

Place.....

Date.....

Certified that Shri डॉ० रामजी सिंह

S/O स्व० खेर सिंह Shri.....

S/O..... of Village श्रीखनपुर नया टोला

P.S. इशाकचक District भागलपुर

Whose signature (s) is/are attested below, own (s) exclusively.....

acres of cultivable land under his/their possession as per land schepale given below, the revenue of the land under reference has been paid upto the year 2019-20.....

LAND SCHEDULE

Mauza & Thana No	~~Fauzi~~ जं० नं० No.	Khata No.	Khesra No.	Area Acre	Area Dec	BOUNDARY North	South	East	West
वाई-10	2108	121	281	0	8-15-10 पुरकी				

महाशय

आवेदक के नाम से मौजा वाई-10 जिसका जं०नं० 2108 खाता 121 खेसरा 281 रकबा 0-8-15-10 पुरकी भूमि पंजी II में दर्ज है लगान वर्ष 2019-20 वसूल है।

14/09/19

14/9/19

Signature of the owner of above land

Above Signature's attested

Signature

Name ( )

Signature of
Anchal Adhikari
Bansal Corporation, Bhagalpur

Official Seal

Anchal Adhikari

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

November 14, 2019

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान	11	पृष्ठ संख्या	1250			जमाबन्दी संख्या	2108
जिला का नाम	Bhagalpur	अनुमंडल नाम	Bhagalpur Sadar	अचंल का नाम	Jagdishpur Sadar	हलका का नाम	नगर निगम 1
मौजा का नाम	भीखनपुर(बरेहपुरा वार्ड 10)	होल्डिग संख्या	N/A	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	W-10

डा. रामजी सिंह , पिता/बाप/अबू -खेर सिंह, जाति- N/A

खाता नम्बर	प्लोट संख्या	रकबा	चौहद्दी				परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
121	281	0 ए 14.504 डि 0 हे	पूरब	पश्चिम	उतर	दक्षिण	n/a	10	0
	कुल परिमान	0 ए 0 डि 0 हे							

तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल
1995-03-29	679510	1994	1995	0	10	0	2.5	0	5	0	5	0	2

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल ख़ारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

नक्शा देखें BACK

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लाट का नक्शा देखने के लिए प्लाट नंबर क्लिक करें|

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
अधिकार अभिलेख

रैयत का नाम: अर्पण बनर्जी
पिता/पति का नाम: पति बनवारी बनर्जी
निवास स्थान: भीखनपुर नया टोला,,,
जाति :

जिला : (22) भागलपुर

अंचल : (91) जगदीशपुर
मौजा : (2118) भीखनपुर(बरेहपुरा वार्ड-10)

** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शर्तें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शर्तें शेष अगर कोई हो

खाताधारी सं.: 2201912118000121

खाता नंबर	रैयत का नाम*	खेसरा नंबर	खेत चौहदी	किस्म जमीन	रकवा ऐ०	रकवा डे०	रकवा हे०	दखल, दखल का स्वरुप	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान एवम सेस	**	नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत	परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम	नवैयत / जमाबंदी नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(₹)	11(₹)	12	13	14
121	2: वो सिप्रा मुखर्जी अंश- पिता/पति का नाम - पति शाँती मुखर्जी जाति - पता -भीखनपुर नया टोला,,,	280	पू.- प.- उ.- द.-		0	0	0.2391		83.6	0			कायमी
		281xD	पू.- प.- उ.- द.-		0	0	0		0	0			कायमी
		281xE	पू.- प.- उ.- द.-		0	0	0		0	0			कायमी
		281xF	पू.- प.- उ.- द.-		0	0	0		0	0			कायमी
		281xG	पू.- प.- उ.- द.-		0	0	0		0	0			कायमी
		281xH	पू.- प.- उ.- द.-		0	0	0		0	0			कायमी
		281xI	पू.- प.- उ.- द.-		0	0	0		0	0			कायमी
		281xN	पू.- प.- उ.- द.-		0	0	0		0	0			कायमी
		282/2789	पू.- प.- उ.- द.-		0	0	0		0	0			कायमी

यह खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जायगा।

प्रति खतियान [illegible]

खाता नम्बर

जिला—

खाता नं० 23172

३। नाम रैयत, पिता का नाम, जाति व वास स्थान।	४। लगान मताबिक पट्टा।	५। लगान मताबिक रैयत।	१४। लगान मताबिक त हकीकात हाकिम।	१५। उचित लगान जो हाकिम ने ठहराया।	१६। जिस तौर पर लगान ठहरायी गयी हो पाने करार से, अदालती हुक्म व दूसरे तौर से।

१७। नवैयत (गैर दखलकार रैयत के दखल की अवधि लिखी जायगी)।	१८। खास शर्तें अगर कोई हो।

DATED THIS 1ST DAY OF JULY 1983.

B E T W E E N

SMT. APARNA BANERJEE

SMT. SIPRA MUKHERJEE

VENDORS

A N D

DR. RANJIT SINGH

VENDEE

SUB: DEED OF SALE

Registrar U/S 7(2) of
Assurances, Calcutta,
31.8.85

Registrar U/S 7(2) of
Assurances, Calcutta,
2.7.85

A631 P 4409 Z 3000Rs.



All duly Stamped ... the Indian Stamp ... 1899 & ... by W. Bengal ... Amendment Act, 1981, Schedule 1A No. 23

Registered U/S 7(2) of Assurances, Calcutta.

26-7-83

A 389.50
7 50
4
N 3
471.50

1. Name of the VENDORS with description :- SMT. APARNA BANERJEE, daughter of Late Someswar Prasad Mukherjee by faith Hindu, profession Land-owner, resident of 19/1, Ramesh Mitter Road, P.S. Bhawanipur in the Town of Calcutta in the State of West Bengal and SMT. SIPRA MUKHERJEE W/o Shri Srisanta Mukherjee, by faith Hindu, profession Land-owner,...

Registrar U/S 7(2) of
Assurances, Calcutta

Registrar U/S 7(2) of
Assurances, Calcutta

Registrar U/S 7(2) of
Assurances, Calcutta

200 Rs.



land-owner, resident of 86B, Jatin Das Road, P.S. Tollygunge, Calcutta-29, in the State of West Bengal.

2. Name of the VENDEE with description : DR. RAMJEE SINGH son of Late Khere Singh by faith Hindu, by profession Teaching, at present resident of Mohalla Bhikhanpur Nayatolla in the Town of Bhagalpur, P.S. Kotwali, Ganendra Nath Mukherjee Road, Pargana, Sub-Registry and District : Bhagalpur.

3. Nature of Document : DEED OF SALE

4. Amount of Consideration : Rs.40,000/- (Rupees Forty Thousand) only.

5...

200 Rs.



5. Description of the property sold : All that sixteen annas right, title and interest in 8 Katha 15 Dhurs and 10 Dhurki of home-stead land more or less together with building and structures in a portion thereof in Holding No.25, Gayanendra Nath Mukherjee Road, in Ward No.11 of the Bhagalpur Municipal Corporation (and 10 in the Bhagalpur Municipal Survey) being part of Khasra No. 281 appertaining to Khata No.121 of Ward No.10 of Revisional Survey in Mohalla Bhikhanpur, P.S. Kotwali, Pargana, Sub-Registry and District Bhagalpur, within the Zamindari of Ex-Landlords Nilakdhari Lall and his sons, now the State of Bihar through Anchal Adhikari, Jagdishpur..



Jagdishpur and the rent of the entire holding payable to the Zamindar, now the State of Bihar is Rs.212.60 Paisa per annum and bounded and butted as follows :-

S.A.AB. North : Gyanendra Nath Mukherjee Road

South : Land of Vendor.

East : Land of Sardar Pritam Singh & Sm. Kishor Kaur Gandhi.

S.A.AB. West : Municipal Land

A Sketch Map on Scale is appended to this Deed and forms part thereof wherein the land and premises conveyed and sold hereby are delineated in detail and is shown in the Red Colour .

THIS ..

premises..

Serial No. 2252

Sold to Sri Ranjit Singh

Of [illegible]

[illegible]

Calcutta Collectorate,
Treasury.

Dt. 2.12.38 Treasurer.

3 cd
1 cd
1 ~
3-9 7 2

Refrar U/S 7(2) of
Calcutta.

THIS INDENTURE made this the 26th day of July, One Thousand Nine Hundred Eighty Three BETWEEN SMT. APARNA BANERJEE A N D SMT. SIPRA MUKHERJEE, fully described in Column No.1 above and here-in-after called the " VENDORS " which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, mean and include their heirs, successors in interest, legal representatives, executors, administrators, and assigns of the ONE PART A N D DR. RANJEE SINGH son of Late Khere Singh fully described in Column No.2 above, hereinafter called the " VENDEE " (PURCHASER) which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, mean and include his heirs, successors-in-interest legal representatives, executors, administrators, and assigns of the OTHER PART :

WHEREAS the land and premises described in heading No.5 above, was the property of Late Someswar Prasad Mukherjee, who inherited the same from Smt. Gyanada Devi her mother, and WHEREAS the said Someswar Prasad Mukherjee died leaving a Will and testament which was duly probated in Teomentary Case No. O.S. No.1 of 1972 of 5th Court of Additional District Judge at Alipore by judgment and decree dated 20.7. 1974 of Additional District Judge, Alipur Probate with the Copy of the will annexed was ordered to be issued and on an appeal before the Hon'ble High Court at Fort William, Calcutta the said order and judgment was upheld on 11.8.82 and Probate with the copy of the Will annexed has been issued, AND

WHEREAS by virtue of the said Probated Will the VENDORS are the sixteen annas owners of the land and

premises..

premises belonging to Late Someswar Prasad Mukherjee situated in Mohalla Bhikhanpur on Gyanendra Nath Mukherjee Road, in the Town of Bhagalpur including the buildings standing thereon of which the land and premises described in heading No.5 above is a Part, AND

WHEREAS the VENDORS are seized and possedded of the said piece or parcel of land and premises and have been mutated in the records of the Municipal Corporation and have been paying Municipal Taxes and have also got their names recorded in the Sherista of the State of Bihar and have been paying taxes to the State of Bihar, and are enjoying the rents and profits of the said land and premises having let out part of the same to different tenants and retaining khas possession over the remaining part, A N D

WHEREAS the VENDORS are permanent residents of Calcutta and they on account of age, ill-health and/ or domestic pre-occupations find it difficult to go over to Bhagalpur and manage the properties AND WHEREAS there is very little yield there-from as a result of which the VENDORS decided to sell and dispose of the said property .

AND WHEREAS the VENDORS entered into an agreement with Mahendra Mandal to sell and transfer the entire property, land and premises of the VENDORS at Mohalla Bhikhanpur bequethed by Someswar Prasad Mukherjee to them in his last Will and Testament aforesaid and in terms of that agreement dated 15. 6. 1983 the VENDORS are to execute sale Deed/ Deeds and in favour of Mahendra Mandal and/or his nominees.

AND WHEREAS...

numbered described or distinguished together with all buildings, messuages structures outeryard with all fittings fictures, rights liberties privileges, easements appertenances whatsoever to the said piece or parcel of land and premises belonging to or in any way or usually held or enjoyed therewith or reputed to belong to or to be appertenant thereto AND ALL rights, title, interest claim or demand of the VENDORS into or upon the said piece or parcel of land and premises which now are or hereafter shall or may be in possession power or control of the VENDORS or any other person or persons from whom the VENDORS may procure the same without any action or suit to HAVE and TO HOLD the said piece or parcel of land and premises hereby granted or expressed so to be unto and to the use of the PURCHASER absolutely and for ever free from all encumbrances

AND THE VENDORS hereby covenant with the purchaser:-

1. That notwithstanding any act deed or thing by the VENDORS done executed or knowingly suffered to the contrary the VENDORS are now lawfully rightfully and absolutely seized and possessed of or otherwise well and sufficiently entitled to the said piece or parcel of land and premises hereby granted or expressed so to be for a perfect and indefeasible estate of inheritance without any condition of use trust or other things whatsoever to alter defeat encumber or make void the same.

2. That the said piece or parcel of land and premises shall be quietly held and enjoyed by the purchaser without any interruption or disturbance by the VENDORS or any person claiming through them or by any other person.

cont'd.../

3. That the said land and premises is free from all encumberances and the VENDORS have got full and legal right to transfer the same.

4. That the VENDORS have paid up all rate and taxes in respect of the aforesaid land and premises till last year and the purchaser shall be liable for all rates and taxes hereafter and in case any amount is realised from the purchaser as arrear of rates and taxes the VENDORS shall be liable to re-imburse the PURCHASER the said amount .

5. That the VENDORS shall and will from time to time and at all times hereafter at all reasonable requests of the PURCHASER and at his cost do and execute or caused to be done and executed all such acts deeds and things whatsoever as many reasonably be deemed necessary to further better and more effectively assuring the property hereby transferred and sold or intended so to be sold every part thereof the intent and purpse of this deed.

6. That in case any defect of title in the VENDORS are found and thereby the Purchaser is debarred from enjoying the purchased property , the Vendors shall be liable to compensate the Purchaser.

7. That the PURCHASER shall be entitled to have his name mutated in the registers of the Bhagalpur Municipal Corporation and the Jagdishpur Anchal Office of the State of Bihar in respect of the land and premises transferred hereby in place of the VENDORS.

IN...

IN WITNESS WHEREOF the VENDORS hereto have put their hands and seals on the date month and year first above mentioned, Sealed, signed and delivered in the presence of :

Witnesses :

1. [illegible]

2. Subodh Kumar Das
7B, Padda Pukur Lane.
Calcutta-20.

VENDORS

Aparna Banerjee.
Dipra Mukherjee.

Typed by me :

[illegible]

Typist.

Calcutta Registry office. Deed No. 7409 M 26/7/83 Bak-1 5Rs



7408 — 2 — 2960 — 11/8/83

7408/775

84

1 — Page

7409 for 19 83-83

5.95

5 50

5.00



Sec Arm.

20.00
16.48
5.45
22.70

2960

11/8/83

Cs — 1306 of 54

Name Dr. N. Bhattacharjee

Address Asansol

Date 3/5/1964

Vendor Mamaluddin Gazi

Asnsol Judge's Court

Calcutta Registry office. Deed no - 7409 dt 26/7/83 Book - 1 5Rs



7408 — 2 — 2960 — 11/8/83

7408/7475

84

1 Page

7409 for 1983

5.95

5.50

5.00

20

16.45

5.45

22.90

2960

8/11/85

No. 1306 of 54

Name D. N. Bhattacharjee

Address Pleader

Date 3/5/1948

Vendor Mamaljeddin Gazi

Alipur Judge's Court
Calcutta

MAP SHOWIN THE POSITION OF LAND & HOUSE SOLD TO SRI DR. RAMJEE SINGH. S/O LATE SRI KHERE SINGH.

OUT OF Ho: No: 25 PART. WARD No: 11
(NEW SERVEY W.. No. 10) KHESRA No: 281
NAYA TOLA BHIKHANPUR.

NEAR GUMTI No: 1
BHAGALPUR.
SCALE 16' = 1"

AREA AND PORTION CONVEYED IS SHOWN IN COLOURED "RED".
6247 Sqft.
K. D - DHURKI.
8 - 13 - 10

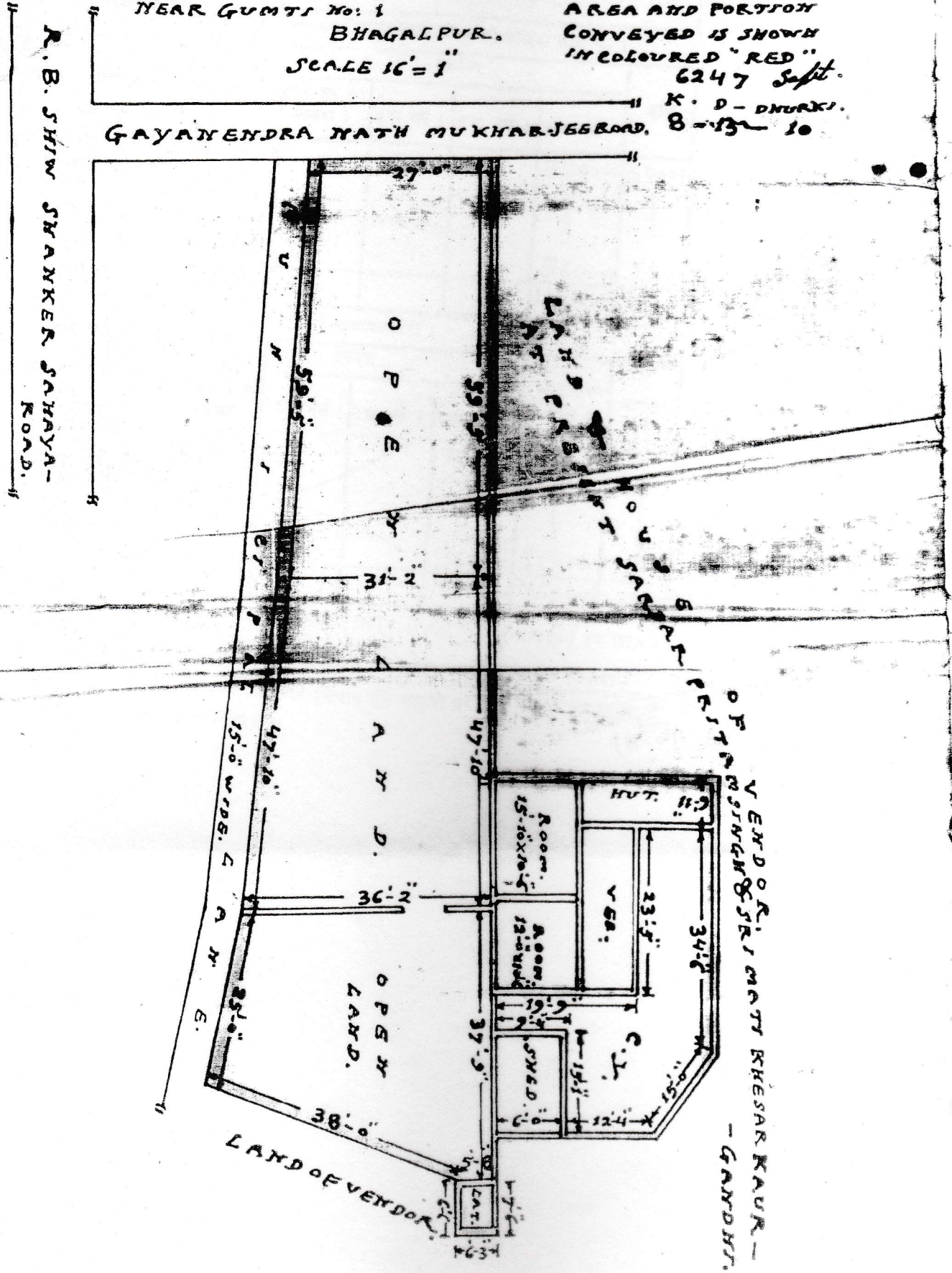

ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION & FEE

Office of the District Sub Registrar.....

Application No. 102594061 Date of Application 8/7/2020

Name of Applicant.....

Purpose of Application..... NEC

Search/for certified copy Deed no..... Year 2000-20

Office of Registration.....Fee paid-Searching

fee Rs. 440/- Copying Fee Rs. ..... Total Rs. 440/-

Signature of Record Keeper

htt

District Registry Office,Bhagalpur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं0 720

चूँकि श्री Sahdeo Kanodia ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता0 01/01/2000 से ता0 16/07/2020 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है–

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं0	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ट से	पृष्ट तक	वर्ष
1	DISTRICT REGISTRY OFFICE,BHAGALPUR	Jagdishpur	Bhikhanpur/36	121	281	6247 Sq Ft		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारो को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

नाम –Chandra Shekhar Singh
UDC चन्द्रशेखर सिंह

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम –Awadh Kishor Sharma
UDC Awadh Kishor Sharma

कार्यालय – **District Registry Office, Bhagalpur** तारीख – **18/07/2020**

जिला अवर निबंधक भागलपुर सत्यमेव जयते

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1817

टिप्पणी–

1. ☐ इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगें।)

2 ☐ निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविश्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।

3 ☑ किन्तु चूकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4 ☐ और चूकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांकः– .401 दिनांकः– 18/07/2020

शाखा प्रबंधक Amarpur Cons. Com. Pvt Ltd के पत्र दिनांक 03/07/2020 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1817